छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ॰ग॰)

---

विषय :— राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की दिनांक 20.11.2013 को सम्पन्न 34 वीं बैठक का कार्यवाही—विवरण।

---

श्री सुनिल कुमार, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की 34 वीं बैठक दिनांक 20.11.2013 को नया रायपुर स्थित मंत्रालय के कक्ष क्र. एस 4—23 में पूर्वान्ह 12.00 बजे और तत्समय समयाभाव के कारण पुनः अपरान्ह 6.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची परिशिष्ट—I पर संलग्न है।

उक्त बैठक में सदस्य सचिव, राज्य जल संसाधन उपयोग समिति द्वारा कुल 07 एजेण्डा—आयटम समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये, जिस पर समिति द्वारा लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :—

1. एजेण्डा आयटम क्र.—01 : पिछली बैठक के कार्यवाही—विवरण की पुष्टि :— राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की दिनांक 03.06.2013 को सम्पन्न पिछली 33 वीं बैठक के कार्यवाही—विवरण की पुष्टि की गई।

2. एजेण्डा आयटम क्र.—02 : मेसर्स धीरू पॉवरजेन प्रा.लि., हैदराबाद एवं मेसर्स वन्दना विद्युत लि., रायपुर (जल आबंटन निरस्तीकरण प्रकरण) :—मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा॰ लि॰, हैदराबाद एवं मेसर्स वन्दना विद्युत लि. रायपुर के द्वितीय चरण हेतु हसदेव नदी में प्रस्तावित सर्वमंगला एनीकट से क्रमशः 7.00 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक एवं 9.00 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल आबंटन के निरस्तीकरण बाबत् प्रकरण में समिति को अवगत कराया गया कि, हसदेव नदी में प्रस्तावित सर्वमंगला एनीकट से, छ.ग. शासन के आदेश दिनांक 02.03.2009 द्वारा मेसर्स धीरू पॉवरजेन प्रा.लि. हैदराबाद को 7 मि.घ.मी. वार्षिक, आदेश दिनांक 04.12.2009 द्वारा मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड को 9 मि.घ.मी. वार्षिक एवं आदेश दिनांक 03.12.2009 द्वारा मेसर्स लेंको अमरकंटक पॉवर प्रा.लि. हैदराबाद को 18 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटित है। मेसर्स लेंको अमरकंटक पॉवर प्रा.लि. हैदराबाद संस्थान का ऑफटेक प्वाईंट हसदेव नदी में प्रस्तावित कुदुरमाल एनीकट है।सर्वमंगला एनीकट की प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर विभागीय नीति के अनुसार निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त में संपूर्ण लागत की 40 प्रतिशत राशि विभाग में जमा करने हेतु तीनों संस्थानों (लेंको अमरकंटक पॉवर प्रा.लि., वंदना विद्युत लिमिटेड एवं धीरू पॉवरजेन) को पत्र दिनांक 10.12.2012 द्वारा मांग पत्र जारी किया गया। मेसर्स लैकों अमरकंटक पावर प्रा.लि. द्वारा उन्हें जल आबंटन आदेश के अनुसार तीन अन्य एनीकटों से 2 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन होने के फलस्वरूप विभाग द्वारा प्रेषित 20 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन के आधार पर दिये गये मांग पत्र दिनांक 10.12.2012 के स्थान पर 18मि.घ.मी.

वार्षिक के आधार पर नया मांग पत्र दिये जाने हेतु निवेदन किये जाने परउन्हें नया मांग पत्र दिनांक 29.07.2013 को प्रेषित किया गया है। वंदना विद्युत लिमिटेड एवं धीरू पॉवरजेन दोनों संस्थानों द्वारा निर्धारित समय सीमा में राशि जमा न करने के फलस्वरूप उन्हें द्वितीय पत्र 1 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ जमा करने बाबत् मांग पत्र दिनांक 16.01.2013 को भेजा गया। फिर भी उक्त संस्थानों द्वारा राशि जमा न करने के कारण अंतिम मांग पत्र 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ जमा करने हेतु दिनांक 14.02.2013 को भेजा गया, जिसमें संस्थानों को विभागीय नीति के अनुसार दिनांक 09.03.2013 तक अपने हिस्से की राशि जमा करनी थी, परंतु वंदना विद्युत लिमिटेड एवं धीरू पॉवरजेन दोनों संस्थानों द्वारा निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा नहीं की गई। विभागीय नीति का पालन न करने के फलस्वरूप वंदना विद्युत लिमिटेड एवं धीरू पॉवरजेन दोनों संस्थानों को सर्वमंगला एनीकट से जारी किया गया जल आबंटन का निरस्तीकरण प्रस्ताव इस बैठक में प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तारतम्य में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि, चूंकि सर्वमंगला एनीकट से मेसर्स लेंको अमरकंटक पॉवर प्रा.लि. को भी किये गये जल आबंटन के एवज में निर्माण राशि के भुगतान हेतु प्रथम मांग पत्र दिनांक 29.07.2013 को जारी किया गया है, अतः इन्हें एवं अन्य संस्थानों को भी इस संबंध में नियमानुसार अंतिम मांग पत्र जारी करने एवं भुगतान की अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रकरण समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

3 एजेण्डा आयटम क्र.–03 : मेसर्स श्याम स्पंज एण्ड पॉवर लि॰, रायपुर :– मेसर्स श्याम स्पंज एण्ड पॉवर लि॰, रायपुर (संस्थान) द्वारा जिला–रायपुर, ब्लाक– सिमगा, ग्राम–बच्छेरा के निकट प्रस्तावित एकीकृत इस्पात संयंत्र एवं 12 मे.वा. सी.पी.पी. हेतु शिवनाथ नदी से 0.82 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल, शिवनाथ नदी में प्रस्तावित तेंदुभाठा एनीकट (ऑफटेक प्वाईंट–तेंदुभाठा एनीकट) से आबंटन/प्रदाय की, शासन के पत्र क्र॰ –7535–7536/एफ 4–122/31/एस–2/ औजप्र/08, दिनांक 21.12.2009 द्वारा जारी सशर्त स्वीकृति, संस्थान द्वारा, जल संग्रहण संरचना के निर्माण हेतु विभाग द्वारा नियमानुसार मांग की गई राशि का भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. एजेण्डा आयटम क्र.–04 :–मे॰ जिन्दल पॉवर लि॰ :–मे॰ जिन्दल पॉवर लि॰, नई दिल्ली द्वारा रायगढ़ जिले में प्रस्तावित 2400 (**4X600**) मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट हेतु महानदी से आंबटित 70.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल के परिप्रेक्ष्य में महानदी में निर्माणाधीन कलमा बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक 600 मे.वा. के 2 यूनिट प्रारंभ/परीक्षण करने हेतु कुरकेट जलाशय से 6–8 मि.घ.मी. वार्षिक अस्थाई जल आहरण की अनुमति बाबत्प्रकरण में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि, जिंदल औद्योगिक समूह के विभिन्न संस्थानो (इकाई) द्वारा स्थापित, स्थापनारत् एवं प्रस्तावित विभिन्न उद्योगों में संयंत्रों की क्षमता एवं उसके आधार पर प्रस्तावित केप्टिव पॉवर प्लांट की क्षमता तथा तद्नुसार आबंटित/आबंटन हेतु प्रस्तावित जल की मात्रा आदि के संबंध में जल संसाधन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों

द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा करने उपरांत इस प्रकरण को समिति के समक्ष अपरान्ह बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

उपरोक्त तारतम्य में, जिंदल औद्योगिक समूह के विभिन्न संस्थान यथा, (1) जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लि.(JSPL), (2) जिंदल पॉवर लि.(JPL) एवं (3) नलवा स्टील एण्ड पॉवर लि.(NSPL) द्वारा स्थापित, स्थापनारत एवं प्रस्तावित विभिन्न 8 इकाईयों हेतु आबंटित औद्योगिक जल–मात्रा संबंधी जानकारी (परिशिष्ट– I) समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा इकाईवार निम्नानुसार समीक्षा की गई :–

1. नलवा स्टील एण्ड पॉवर लि..(**NSPL**) :- इस संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित इकाईयां आतीहैं:–

1.(**i**). **NSPL**का 3.00 **MTPA Steel**+76 **MWCPP(**नया संयंत्र) :– इस इकाई हेतु समिति की 33 वी बैठक दिनांक 01.06.2013 में, महानदी / मिरौनी बैराज (ऑफटेक–कलमा बैराज) से 20 मि.घ.मी. वार्षिक जल स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में उर्जा विभाग के अभिमत अनुसार 76 MWCPP हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.00 मि.घ.मी.(26.28मि.घ.मी प्रति 1000MWपॉवर प्लांट की दर पर) में, 3.00 MTPA क्षमता के स्टील प्लांट हेतु उद्योग विभाग द्वारा अनुशंसित 25.92 मि.घ.मी.(8.64 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रति MTPAस्टील प्लांट की दर पर) जल की मात्रा को सम्मिलित कर, प्रकरण में कुल 27.92( 2.00+25.92) मि.घ.मी. वार्षिक जल की आवश्यकता के विरूद्व संस्थान द्वारा 20 मि.घ.मी. वार्षिक जल की मांग की गई है। इस प्रकार आंबटन, आवश्यकता से 7.92 मि.घ.मी. कम है।

1.(**ii**) **NSPL**का 0.24 **MTPA Steel**+24**MWCPP(**पुराना / स्थापित) :–इस इकाई हेतु समिति की 27 वी बैठक, दिनांक 16.09.2009 में, बंजारी (छुईकांसा) नाला / तराईमाल एनीकट क्र.–2 (ऑफटेक) से 3.46 मि.घ.मी. वार्षिक जल स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में, उर्जा विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में प्रचलित मापदण्डो के अनुसार 24 MW CPP हेतु आवश्यक जल की मात्रा 0.63 मि.घ.मी. में, 0.24 MTPAस्टील प्लांट हेतु आवश्यक 2.07 मि.घ.मी. जल की मात्रा को सम्मिलित कर, प्रकरण में कुल 2.70(0.63+2.07) मि.घ.मी.वार्षिक जल की आवश्यक के विरूद्व संस्थान द्वारा 3.46 मि.घ.मी.वार्षिक जल की मांग की गई है। इस प्रकार आंबटन आवश्यकता से 0.76 मि.घ.मी. अधिक है।

2. जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लि.(**JSPL**),**:-**इस संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित इकाईयां आती हैं:–

2.(**i**) **JSPL** का 7.00 **MTPA Steel**+1000 **MWCPP (**नया संयंत्र) :–इस इकाईहेतु समिति की 33 वी बैठक दिनांक 01.06.2013 में, महानदी / बंसतपुर +मिरौनी +साराडीह + कलमा बैराज (ऑफटेक) से 88.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में उर्जा विभाग के अभिमत अनुसार 1000 MW CPP हेतु आवश्यक जल की मात्रा 26.28 मि.घ.मी.में, 7.00 MTPAक्षमता के स्टील प्लांट हेतु उद्योग विभाग द्वारा

अनुशंसित 60.48 मि.घ.मी. जल की मात्रा को सम्मिलित कर, प्रकरण में कुल 86.76 (26.28+ 60.48) मि.घ.मी. वार्षिक जल की आवश्यकता के विरूद्व संस्थान द्वारा 88.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल की मांग की गई है। इस प्रकार आंबटन आवश्यकता से 1.24 मि.घ.मी. अधिक है।

2.**(ii)**. **JSPL**का 3.20 **MTPA Steel**+600**MW CPP** (नया संयंत्र) :–इस इकाई हेतु समिति की 19 वी बैठक दिनांक 13.12.2007 में, महानदी/शिवरीनारायण बैराज(ऑफटेक–कलमा बैराज) से 42.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल स्वीकृति किया गया है। प्रकरण में उर्जा विभाग के अभिमत अनुसार 600 MW CPP हेतु आवश्यक जल की मात्रा 13.40 मि.घ.मी.में, 3.20 MTPA क्षमता के स्टील प्लांट हेतु उद्योग विभाग द्वारा अनुशंसित 27.65 मि.घ.मी. जल की मात्रा को सम्मिलित कर, प्रकरण में कुल 41.05(13.40+ 27.65) मि.घ.मी. वार्षिक जल की आवश्यकता के विरूद्व संस्थान द्वारा 42.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल की मांग की गई है। इस प्रकार आंबटन आवश्यकता से केवल 0.95 मि.घ.मी. अधिक है।

2**(iii)**. **JSPL**की रोलिंग मिल एवं विघुत इकाई तथा जिंदल स्ट्रीप्स लि.के नाम से स्थापित इस्पात संयंत्र +**CPP**:–JSPL द्वारा स्थापित रोलिंग मिल+विद्युत इकाई, जिसके लिये समिति की 3री बैठक, दिनांक 22.12.2001 में, महानदी से 12 मि.घ.मी. वार्षिक जल स्वीकृत है एवं पूर्व मे जिंदल स्ट्रीप्स लि. के नाम से स्थापित संयंत्र +CPP, जिसके लिये पूर्ववर्ती म.प्र.शासन के पत्र दिनांक 23.05.1997, 07.09.1998 एवं 12.04.1999 द्वारा, केलो नदी से 8.80 मि.घ.मी. वार्षिक जल स्वीकृत है, को सम्मिलित कर समिति को अवगत कराये अनुसार कुल 3 MTPA Steel+357 MW CPP क्षमता हेतु कुल 20.80(12.00+8.80) मि.घ.मी. वार्षिक जल आंबटित है। उर्जा विभाग तथा उद्योग विभाग में प्रचलित मापदण्डो के अनुसार प्रकरण में क्रमशः 357 MW CPP हेतु 9.38 मि.घ.मी. तथा 3MTPA स्टील प्लांट हेतु 25.92 मि.घ.मी., इस प्रकार कुल 35.30 मि.घ.मी.वार्षिक जल आवश्यकता के विरूद्व संस्थान को 20.80(12+8.80) मि.घ.मी. वार्षिक जल आंबटित है। इस प्रकार आंबटन आवश्यकता से 14.50 मि.घ.मी. कम है। समिति को अवगत कराये अनुसार वर्तमान में संस्थान द्वारा इस आंबटित जल से कम जल का उपयोग किया जा रहा है तथापि नियमानुसार भुगतान 90% मात्रा का किया जा रहा है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि, संस्थान एवं विभागीय मैदानी अधिकारी से यह स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि उनके स्थापित संयंत्र की कुल क्षमता 3 MTPA Steel+357 MW CPP हेतु आवश्यक जल की मात्रा 35.30 मि.घ.मी.वार्षिक है, जबकि इस उद्योग हेतु कुल 20.80 मि.घ.मी. वार्षिक जल आंबटित है एवं संस्थान का वास्तविक जल उपयोग इसके 90% से भी कम है, अतः उनके द्वारा शेष जल की पूर्ति कहां से की जाती है। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि, यदि संस्थान द्वारा भू–जल का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन में किया जा रहा है तो, इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा संबंधित कलेक्टर के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावे।

3. जिंदल पॉवर लि.(**JPL**),:-इस संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित इकाईयां आती हैं:–

3.(**i**) **JPL** का 2640 (**4x** 660) **MW TPP** (नया संयंत्र) :–इस इकाई हेतु समिति की 24 वीं बैठक, दिनांक 22.12.2008 में, महानदी/कलमा बैराज (ऑफटेक) से 70.00 मि. घ.मी. वार्षिक जल स्वीकृत किया गया है। इस तारतम्य में ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि श्री एम.एस.रत्नम, अधीक्षण अभियंता सह विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि, वर्तमान में संस्थान द्वारा 2640 (4 x 660) MW के स्थान पर 2400 (4 x 600) MW TPP की स्थापना की जा रही है एवं ऊर्जा विभाग में प्रचलित मापदण्ड के अनुसार 2400 MW TPP हेतु आवश्यक जल की मात्रा 63.07 मि.घ.मी. वार्षिक होती है। इस प्रकार आबंटन, पूर्व में संस्थान द्वारा प्रस्तावित 4 x 660 MWकी इकाई हेतु होने के कारण संस्थान द्वारा वास्तविक स्थापनारत 4 x 600 MW की इकाई हेतु आवश्यकता से 6.93 (70.00–63.07) मि.घ.मी. अधिक है।

3.(**ii**) **JPL** का 1000 (**250x4)MW TPP (IPP)** (पुराना) :–इस इकाई हेतु समिति की 3री बैठक दिनांक 22.12.2001 में, म.प्र शासन के आदेश दिनांक 18.03.1997, जिसके द्वारा कुरकेट नदी में संस्थान के व्यय से कुरकेट जलाशय (राबो बांध) के निर्माण उपरांत 54 मि.घ.मी. वार्षिक जल आंबटित किया गया है, कि वैधता को आगामी 5 वर्षो के लिए बढ़ाया गया था। ऊर्जा विभाग में, वर्तमान में प्रचलित मापदण्ड के अनुसार 1000 MW क्षमता के थर्मल पॉवर प्लांट (TPP) हेतु 26.28 मि.घ.मी. वार्षिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि संस्थान की मांग अनुसार उन्हे 54.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटित है। इस प्रकार प्रकरण में आबंटन, आवश्यकता से 27.72 मि.घ. मी. वार्षिक अधिक है। इस संबंध में उर्जा विभाग के प्रतिनिधि श्री एम.एस.रत्नम, अधीक्षण अभियंता/वि.क.अ. द्वारा अवगत कराया गया कि, संस्थान द्वारा 1000 MW TPP हेतु 250 MW की 4 यूनिट स्थापित की गई है, जो पुरानी तकनीक के आधार पर संचालित की जाती है, जिसके लिए लगभग 31–32 मि.घ.मी. वार्षिक जल की आवश्यकता होती है। इस तारतम्य में समिति को अवगत कराया गया कि, जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ द्वारा प्रेषित, कुरकेट नदी में निर्मित कुरकेट जलाशय (राबो बांध) के अद्यतन रीजरवायर ऑपरेशन टेबल के अनुसार संस्थान द्वारा स्थापित 1000 MW TPP में औसतन 31.10 मि.घ.मी. वार्षिक जल का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है एवं शेष 22.90 (54–31.10) मि.घ.मी. वार्षिक जल में से, JSPL के 3.2 MTPA Steel + 600 MW CPP हेतु उपरोक्त बिन्दु क्र.2.(ii) के अनुसार आबंटित 42 मि.घ.मी. वार्षिक जल के विरूद्व महानदी में प्रस्तावित, शिवरीनारायण बैराज के पूर्ण होने तक उनके 4 x 150 MW डोंगा महुआ CPP हेतु तत्कालिक आवश्यकता के लिये अस्थाई रूप से 5.40 मि.घ.मी. वार्षिक जल उपयोग किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति शासन के पत्र दिनांक 30.11.2011 द्वारा जारी करने उपरान्त समिति की इस 34 वीं बैठक में पुष्टि हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है, एवं इसके साथ ही JPL के प्रस्तावित 2640 (4x660) MW TPP हेतु महानदी/कलमा बैराज से आबंटित 70 मि.घ.मी. वार्षिक जल के विरूद्व संस्थान द्वारा वास्तविक रूप से स्थापनारत 2400 MW TPP के दो यूनिट के प्रारंभ/परीक्षण हेतु कलमा बैराज का निर्माण पूर्ण होने तक कुरकेट जलाशय से 6–8 मि.घ.मी. वार्षिक अस्थाई जल आहरण का आवेदन दिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, चूंकि कुरकेट जलाशय, जिसमे JPL के 1000 MW TPP हेतु आबंटित 54.00 मि.घ.मी. जल मे से संस्थान द्वारा वास्तविक रूप से केवल 31.10 मि.घ.मी. वार्षिक जल का उपयोग किया जा रहा हैं, अतः इस जलाशय में निस्तार, स्थानीय सिंचाई, वाष्पीकरण क्षति आदि हेतु आवश्यक जल संग्रहण सुरक्षित रख शेष जल में से, JPL के 2400 MW TPP हेतु महानदी/कलमा बैराज से आबंटित 70 मि.घ.मी. वार्षिक जल के विरूद्ध 8.00 मि.घ.मी. जल कुरकेट जलाशय से स्थाई रूप से तथा शेष 62 (70–8) मि.घ.मी. वार्षिक जल महानदी/कलमा बैराज से स्थाई रूप से, एवं JSPL के 3.20 MTPA Steel + 600 MW CPP हेतु महानदी/शिवरीनारायण बैराज से आबंटित 42.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल के विरूद्ध कुरकेट जलाशय से अस्थाई रूप से प्रदत्त 5.40 मि.घ.मी. वार्षिक जल को स्थाई रूप से तथा शेष 36.60 (42.00–5.40) मि.घ.मी. वार्षिक जल महानदी/शिवरीनारायण बैराज से स्थाई रूप से, आबंटित/प्रदाय इस शर्त पर किया जा सकता है कि, इस संबंध में संबंधित मुख्य अभियंता परीक्षण कर जल की स्थाई उपलब्धता का आंकलन करें। तत्पश्चात्, तदानुसार विभागीय प्रस्ताव पर संबंधित संस्थान की सहमति हो एवं उनके द्वारा यह शपथ–पत्र दिया जाये कि उनके द्वारा किसी भी परिस्थिति में भू–जल का औद्योगिक प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जायेगा।उक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात विभाग जल आंबटन आदेश जारी करेगा ।

4. <u>एजेण्डा आयटम क्र.–05 :मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड</u> :–मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को महानदी से आबंटित 42.00 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल के प्रदाय हेतु प्रस्तावित शिवरीनारायण बैराज का निर्माण पूर्ण होने तक, जिंदल पॉवर लि॰ को कुरकेट नदी से आबंटित 54.00 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल में से 5.40 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल, अस्थाई रूप से आहरण बाबत् शासन के पत्र दिनांक 30.11.2011 द्वारा जारी स्वीकृति की समिति द्वारा पुष्टि किये जाने बाबत् प्रकरण में समिति को अवगत कराया गया कि, संस्थान द्वारा तत्कालिक रूप से वांछित 5.40 मि॰घ॰मी॰ जल का प्रदाय शीघ्र करने बाबत् किये गये अनुरोध पर तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 21.10.2011 को दिये गये निर्देश के तारतम्य में, राज्य जल संसाधन उपयोग समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में, मेसर्स जिन्दल पॉवर लि॰, तमनार (रायगढ़) के 1000 मेगावाट विद्युत संयंत्र को कुरकेट बांध से स्वीकृत 54 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल में से मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि॰ रायगढ़ को उनके 4X150 मेगावाट क्षमता के डोंगामहुआ केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु 5.40 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल अस्थाई रूप से, आगामी 2 वर्षो तक या शिवरीनारायण बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक प्रदाय करने की सशर्त स्वीकृति समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सह, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के, दिनांक 26.11.2011 को अनुमोदन पश्चात मंत्रालयीन पत्र क्र–8437/29/1/91/म / 31/ औजप्र /01/ डी–4, दि 30.11.2011 द्वारा जारी की गई है। तद्नुसार प्रकरण में की गई कार्यवाही की समिति द्वारा पुष्टि की गई।

5. <u>एजेण्डा आयटम क्र.–06</u> :–मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा.लि. हैदराबाद एवं वंदना ग्रुप रायपुर (जल आहरण स्थल में परिवर्तन संबंधी प्रकरण) :–मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा.लि. हैदराबाद एवं वंदना ग्रुप रायपुर द्वारा कोरबा जिले में प्रस्तावित अपने–अपने थर्मल पॉवर प्लांट के लिये हसदेव नदी से आबंटित जल के प्रदाय हेतु निर्धारित स्थल में परिवर्तन की स्वीकृति बाबत् प्रकरण में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि, चूंकि राज्य जल संसाधन उपयोग समिति छ.ग. की दिनांक 05.04.2010 को संपन्न 28 वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वंदना ग्रुप की दोनो संस्थानों के कुल 20.24 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय हेतु निर्धारित स्थल हसदेव नदी में प्रस्तावित सर्वेश्वर एवं सर्वमंगला एनीकट के स्थान पर हसदेव नदी में निर्मित हसदेव बरॉज के ऊपर लगभग 15 कि.मी. पर ग्राम झोरा के पास से जल आहरण करने की स्वीकृति विभिन्न शर्तों के तहत् छ.ग. शासन द्वारा उनके आदेश पत्र दिनांक 21.07.2010 द्वारा प्रदान की गई है। वंदना विद्युत लिमिटेड एवं वंदना एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के स्थल परिवर्तन आदेश के पालनार्थ इन संस्थानों द्वारा ग्राम झोरा के निकट प्रस्तावित स्थल पर, मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना के द्वारा दिनांक 28.07.2011 को स्वीकृत संयुक्त इंटेक एवं पंप हाऊस तथा एप्रोच चैनल के जनरल ले आऊट प्लान के आधार पर पाईप लाईन बिछाई गई है। इसी प्रकार हसदेव नहर (आर.बी.सी.) में जल प्रवाहित करने हेतु संस्थान द्वारा पंप हाऊस का निर्माण तथा पाईप लाईन बिछाने का कार्य हसदेव नदी से नहर के कि.मी. 10 के पास तक पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में वंदना ग्रुप के वंदना विद्युत लिमिटेड तथा वंदना एनर्जी एण्ड स्टील्स प्रा. लि. के थर्मल पॉवर प्लांट का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। वंदना विद्युत लिमिटेड संस्थान द्वारा विभाग को उनके पत्र दिनांक 20.03.2013 एवं 25.03.2013 द्वारा यह सूचित किया गया है कि, उनका प्रथम चरण 2X135 मे.वा. थर्मल पॉवर प्लांट पूर्ण रूपेण तैयार है। समिति की 33 वीं बैठक में प्रकरण में छ.ग. लोक आयोग में दर्ज जाँच प्रकरण क्रमांक–49/2011 के संबंध में, लोक आयोग से जाँच प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर प्रकरण समिति के समक्ष आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ रखा जाने के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जाँच प्रकरण की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया गया । चूंकि संस्थान द्वारा जल आहरण एवं नहर में जल छोड़ने करने हेतु समुचित प्रयास किये गये है, अतः ऐसी परिस्थिति में वंदना ग्रुप की दोनों संस्थानों के कुल 20.24 (सर्वेश्वर एनीकट से वन्दना विद्युत को 9.00 एवं वन्दना एनर्जी को 2.24 तथा सर्वमंगला एनीकट से वन्दना विद्युत के विस्तार हेतु 9.00) मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय हेतु निर्धारित स्थल हसदेव नदी में प्रस्तावित सर्वेश्वर एवं सर्वमंगला एनीकट के स्थान पर हसदेव नदी में निर्मित हसदेव बैराज के ऊपर लगभग 15 कि.मी. पर ग्राम झोरा के पास से जल आहरण करने के, समिति की 28 वीं बैठक दिनांक 05.04.2010 में लिये

...8

गये निर्णय के तारतम्य में शासन के पत्र दिनांक 21.07.2010 द्वारा सशर्त स्वीकृति जारी की गई है, अतः समिति द्वारा इस प्रकरण में पुनः विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। जहां तक मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा. लि. हैदराबाद के आहरण स्थल में भी परिवर्तन का प्रश्न है, तो इस संस्थान के थर्मल पॉवर प्लांट का निर्माण अभी आरंभ नहीं हुआ है, तथा समिति को अवगत कराया गया कि, विभिन्न आवश्यक/अनिवार्य अनुमतियां जैसे पर्यावरण आदि भी प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही चूंकि मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा.लि. हैदराबाद संस्थान के द्वारा अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के भुगतान हेतु अतिरिक्त छूट अवधि हेतु आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2013 विभाग को प्रस्तुत किया गया है, अतः इस संस्थान के साथ, इस संबंध में विभाग द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं तदनुसार प्रकरण समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये।

7. एजेण्डा आयटम क्र.–07 : मेसर्स शान्ति जी.डी. इस्पात एण्ड पॉवर प्रा॰ लि॰, रायपुर :– मेसर्स शान्ति जी.डी. इस्पात एण्ड पॉवर प्रा॰ लि॰, रायपुर द्वारा जिला–जांजगीर–चांपा, ब्लाक–चांपा, ग्राम–महुदा के निकट प्रस्तावित 15 मेगावाट बॉयोमास आधारित पॉवर प्लांट हेतु हसदेव नदी से 0.75 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल आबंटन के निरस्तीकरण बाबत्, प्रकरण में समिति को अवगत कराया गया कि, मेसर्स शान्ति जी.डी. इस्पात एण्ड पॉवर प्रा॰लि॰, रायपुर द्वारा जिला–जांजगीर–चांपा, ब्लाक–चांपा, ग्राम–महुदा के निकट प्रस्तावित 15 मेगावाट बॉयोमास आधारित पॉवर प्लांट हेतु हसदेव नदी से 0.75 मि॰घ॰मी॰ वार्षिक जल, हसदेव नदी में प्रस्तावित सत्तीगुड़ी एनीकट (ऑफटेक प्वाईंट–कुदरी बैराज) के, संस्थान द्वारा संपूर्ण/अनुपातिक व्यय के रूप में, अग्रिम जलकर के रूप में जमा की जाने वाली राशि से जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण उपरांत आबंटन/प्रदाय करने की सशर्त स्वीकृति शासन के पत्र क्र. 7100–7101/एफ 4–162/एस–2/31/औजप्र/2010, दिनांक 08.10.2012 द्वारा प्रदान की गई है। इस स्वीकृति की शर्तों के तहत, संस्थान को जल प्रदाय के लिये हसदेव नदी में प्रस्तावित सत्तीगुड़ी एनीकट के निर्माण हेतु संपूर्ण/अनुपातिक व्यय के रूप में, ''औद्योगिक जल प्रदाय हेतु जल संग्रहण सरंचनाओं के त्वरित निर्माण की विभागीय नीति, दिनांक 22.12.09'' के तहत संस्थान को, अग्रिम जलकर के रूप में सम्पूर्ण अनुपातिक राशि रू. 68.306 लाख का भुगतान विभाग को किया जाना था, जो नहीं किया गया है, अतः संस्थान को आबंटित जल निरस्तीकरण की श्रेणी में आ गया है।

इसके साथ ही समिति को अवगत कराया गया कि, संस्थान के पत्र दिनांक 28.09.2013 एवं 07.11.2013 द्वारा, प्रकरण में स्वीकृत 0.75 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन को कम कर 0.40 मि.घ.मी. वार्षिक करने का अनुरोध किया गया है एवं इस संशोधित 0.40 मि.घ.मी. जल की मात्रा के अनुपात में, सत्तीगुड़ी एनीकट के निर्माण हेतु उनके हिस्से की राशि के भुगतान हेतु सहमति भी व्यक्त की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, चूंकि संस्थान को किया गया 0.75 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन जल संसाधन विभाग के नियमानुसार वर्तमान में निरस्तीकरण की श्रेणी में आ गया है, अतः उसे निरस्त किया जाए एवं संस्थान द्वारा उनकी कम आवश्यकता 0.40 मि.घ.मी. वार्षिक जल के आबंटन हेतु नियमानुसार उद्योग

...9

विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र पुनः प्रेषित किया जाता है तो, समिति द्वारा संस्थान के अनुरोध अनुसार उनकी वर्तमान आवश्यकता 0.40 मि.घ.मी. वार्षिक जल के आबंटन/प्रदाय की नई स्वीकृति प्रदान करने बाबत् विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि, भविष्य में किसी भी औद्योगिक संस्थान के द्वारा, उन्हें आबंटित जल को कम करने या चरणबद्ध आबंटन का अनुरोध किया जाता है तो इस संबंध में उनका आवेदन /अनुरोध पत्र संबंधित विभागों यथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्राप्त होने के उपरान्त ही जल संसाधन विभाग द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सही/–
सदस्य सचिव,
राज्य ज.सं. उपयोग समिति, सह
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
ज.सं. विभाग, मंत्रालय

अनुमोदित

सही/–

मुख्य सचिव, सह
अध्यक्ष,
राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छ.ग.

परिशिष्ठ–**I**

## 34 वीं बैठक दिनांक 20.11.2013 में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची

❖ उपस्थित सदस्यगण :–

1. श्री एन.के. असवाल, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव एवं ए.पी.सी., कृषि विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. श्री जी.एस. मिश्रा, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग,मंत्रालय, नया रायपुर।
5. श्री अमन सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि श्री एम.एस. रत्नम, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. श्री एच॰ आर॰ कुटारे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
7. श्री डी॰ के॰ झा, वि.क.अ. सह, सदस्य सचिव, राज्य ज.सं. उपयोग समिति, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

❖ उपस्थित अधिकारीगण :–

1. श्री पी.आर. चौरसिया, मुख्य अभियंता (प्रबोधन), कार्या. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
2. श्री आर.एन. दिव्य, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर।
3. श्री इन्द्रजीत उइके, मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,बिलासपुर।
4. श्री जयंत पवार, मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर।
5. श्री ए.के.सिंह, उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नयारायपुर।
6. श्री एम.एल.अग्रवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. श्री एम. वरू, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

----------------------------

जिन्दल औद्योगिक समूह के संस्थान, यथा 1. मे. जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि. 2. मे. जिन्दल पॉवर लि. 3. मे. नलवा स्टील एण्ड पॉवर लि. द्वारा स्थापित, स्थापनारत् एवं प्रस्तावित विभिन्न उद्योगों हेतु आबंटित/आबंटन हेतु प्रस्तावित औद्योगिक जल संबंधित जानकारी ।

| स. क्र | संस्थान का नाम (प्रस्तावित उद्योग की क्षमता) | समिति द्वारा स्वीकृत स्थाई जल की मात्रा (मि.घ.मी./वर्ष) | समिति द्वारा स्वीकृत अस्थाई जल की मात्रा | ऊर्जा विभाग द्वारा बताई गई जल आवश्यकता | उद्योग विभाग द्वारा बताई गई जल आवश्यकता | संस्थान की कुल जल आवश्यकता | संस्थान को आबंटित जल अधिक/ कम | टीप |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | नलवा स्टील एण्ड पॉवर लि. (3.00 MTPA स्टील + 76 MW CPP) | 20 मि.घ.मी. (33वीं बैठक दिनांक 01. 06.2013 में स्वीकृत ) | निरंक | 2 मि.घ.मी. (76 MW CPP) | 25.92 मि.घ. मी. (3.00 MTPA स्टील) | 27.92 मि.घ.मी. | आबंटन, आवश्यकता से 7.92 मि.घ.मी. कम | जल स्त्रोत– महानदी/ मिरौनी बैराज (आफटेक–कलमा बैराज) |
| 2 | जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि. (7.00 MTPA स्टील + 1000 MW CPP) | 88 मि.घ.मी. (33वीं बैठक दिनांक 01. 06.2013 में स्वीकृत ) | निरंक | 26.28 मि.घ.मी. (1000 MW CPP) | 60.48 मि.घ. मी. (7.00 MTPA स्टील) | 86.76 मि.घ.मी. | आबंटन, आवश्यकता से 1.24 मि.घ. मी. अधिक | जल स्त्रोत– महानदी/बसंतपुर +मिरौनी साराडीह+ कलमा बैराज (आफटेक) |
| 3. | जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि. (3.20 | 42मि.घ.मी. (19वीं बैठक दिनांक 13. | 5.40 मि.घ.मी. (कुरकेट नदी/राबो बांध से) (समिति के तत्कालीन | 13.40 मि.घ.मी. | 27.65 मि.घ. मी. (3.2 | 41.05 मि.घ.मी. | आबंटन, आवश्यकता से | जल स्त्रोत– महानदी/ शिवरीनदी बैराज |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MTPA स्टील + 600 MW CPP) | 12.2007 में स्वीकृत ) | अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिनांक 30.11.2011 को आदेश जारी कर प्रकरण कार्योत्तर स्वीकृति हेतु 31वीं बैठक दि.16.05.12 मे विचारार्थ प्रस्तुत। समिति द्वारा प्रकरण में ऊर्जा/उद्योग विभाग के अभिमत सहित जिन्दल औद्योगिक समूह के सभी प्रकरणों को एकजाई रूप में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गये। तदानुसार प्रकरण 33वीं बैठक दि. 01.06. 2013 में पुनः प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् समिति के निर्देशानुसार 34 वीं बैठक दिनांक 20.11.2013 में पुनः प्रस्तुत कर अनुमोदित) | (600 MW CPP) | MTPA स्टील) | | 0.95 मि.घ. मी. अधिक | (आफटेक–कलमा बैराज) |
| 4 | जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि. (रोलिंग | 12 मि.घ.मी. | निरंक | – | – | – | – | जल स्त्रोत– महानदी |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मिल + विद्युत इकाई)<br>+<br>जिन्दल स्ट्रीप्स लि. ( इस्पात संयंत्र +CPP) | (3री बैठक दिनांक 22. 12.2001 में स्वीकृत )<br>+<br>8.78 मि.घ.मी. (मध्यप्रदेश शासन के पत्र दि. 23.05.97, 07.09.98 दि. 12.04.99 द्वारा स्वीकृत | निरंक | – | – | – | – | जल स्त्रोत– केलो नदी |
| | =<br>जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि.<br>(3.20 MTPA स्टील + 357 MW CPP) | =<br>20.78 मि.घ.मी. | निरंक | 9.38 | 25.92 | 35.30 | आबंटन, आवश्यकता से 14.50. मि.घ.मी. कम | जल स्त्रोत– महानदी +<br>जल स्त्रोत– केलो नदी |
| 5. | जिन्दल पॉवर लि. (1000 MW IPP) | 54 मि.घ.मी. (3रीबैठक दिनांक 22. 12.2001 में, मध्यप्रदेश | निरंक | 26.28 मि.घ.मी.<br>(1000 MW CPP) | निरंक | 26.28 मि.घ.मी. | अतिरिक्त आबंटित जल का उपयोग संस्थान द्वारा अस्थाई रूप से | जल स्त्रोत– कुरकेट नदी<br>(राबो बांध) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शासन के आदेश दि. 18.03.97 की वैघता को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया ) | | | | | करने हेतु आवेदित जिसमें 5.4 मि.घ.मी. जल की स्वीकृति स.क्र.–3 अनुसार एवं 6–8 मि.घ.मी.स.क्र–6 अनुसार | |
| 6 | जिन्दल पॉवर लि. ( 2640 MW IPP) | 70.00 मि.घ.मी. (24वीं बैठक दि. 22.12.2008 में स्वीकृत) | 6–8 मि.घ.मी.(कुरकेट नदी / राबो बांध से) (समिति की 34वी बैठक दि.20.11.13 में विचारार्थ प्रस्तुत) | 63.07 मि.घ.मी. (2400 MW हेतु) | आवश्यकता नहीं | 63.07 मि.घ.मी. | आबंटन, आवश्यकता से 6.93 मि.घ.मी. अधिक | जल स्त्रोत– महानदी / कलमा बैराज (आफटेक) |
| 7. | नलवा स्टील एण्ड पॉवर लि. ( 0.24 MTPA स्टील + 24 MW CPP) | 3.46 मि.घ.मी. (27वीं बैठक दिनांक 16.09.2009 में स्वीकृत ) | 3.46 मि.घ.मी. (बंजारी नाला में प्रस्तावित तराई माल एनीकट क्र.–2 का निर्माण होने तक) | 0.63 | 2.07 | 2.70 | आबंटन, आवश्यकता से 0.76 मि.घ.मी. अधिक | जल स्त्रोत– बंजारी (छुईकांसा) नाला |